



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-147 राँची, सोमवार, 3 फाल्गुन, 1942 (श०)
22 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

02 फरवरी, 2021

संख्या-5/आरोप-1-65/2017-1128 (HRMS)-- श्री अंगारनाथ स्वर्णकार, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-इलाहाबाद 'उ0प्र0'), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर प्रखण्ड, साहेबगंज के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2752, दिनांक 31.05.2017 के माध्यम से उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, साहेबगंज के पत्रांक-132(गो0)/जि0ग्रा0 दिनांक 25.04.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध गठित आरोप का सारांश निम्नांकित है-

(i) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 1222 लाभुकों का आवास सॉफ्ट में निबंधन के विरुद्ध मात्र 1081 लाभुकों का जियो टैगिंग एवं 954 लाभुकों का एफ0टी0ओ0 जेनरेट करना।

(ii) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत कुल स्वीकृत 1078 आवासों में दिनांक 25.04.2017 तक सिर्फ 687 लाभुकों को प्रथम किस्त एवं 12 लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि एफ0टी0ओ0 के माध्यम से उपलब्ध करवाना।

(iii) सितम्बर, 2016 तक 178 लम्बित इंदिरा आवासों का कार्य पूर्ण करवाने संबंधी निदेश की अवहेलना।

(iv) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में एस0टी0 लाभुकों के निर्धारित लक्ष्य में 60 लक्ष्य के प्रत्यार्पण के संबंध में योग्य लाभुकों की संख्या शून्य होने संबंधी स्पष्ट प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाना।

(v) मनरेगा योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में आजीविका संवर्द्धन हेतु प्रति पंचायत 100 से 150 दिनों का रोजगार दिये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक 25.04.2017 तक मात्र 48 मानव दिवस का सृजन होना।

(vi) मनरेगा अंतर्गत द्वितीय चरण में डोभा निर्माण के कुल लक्ष्य 62 के विरुद्ध 25.04.2017 तक मात्र 45 डोभाओं की प्रशासनिक स्वीकृति एवं सिर्फ 35 योजनाओं में कार्य प्रारंभ करवाना।

(vii) मनरेगा अंतर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों का शत-प्रतिशत जियो टैगिंग के लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक 25.04.2017 तक कुल 743 पूर्ण योजनाओं के विरुद्ध मात्र 29 योजनाओं का जियो टैगिंग होना।

(viii) मनरेगा अंतर्गत वर्षवार Delay Payment Compensation को Clear करने के निदेश के विपरीत वर्ष 2016-17 की स्वीकृत राशि से अब तक 1544/- ₹0 का भुगतान नहीं करना।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7448, दिनांक 22.06.2017 द्वारा श्री स्वर्णकार से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री स्वर्णकार द्वारा अपना स्पष्टीकरण उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-01/गो0, दिनांक 09.02.2018 के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करवाया गया। श्री स्वर्णकार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत उनके द्वारा 86.15% लाभुकों का जियो टैगिंग किया गया एवं 687 लाभुकों को प्रथम किस्त एवं 12 लाभुकों को द्वितीय किस्त का भुगतान किया गया। राजमहल प्रखंड के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रखंड द्वारा द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं किया जा सका था।

(ii) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में signed एफ0टी0ओ0 की संख्या राजमहल प्रखंड को छोड़कर अन्य प्रखंडों से बेहतर थी। दिनांक 25.04.2017 को उक्त योजना में द्वितीय किस्त का भुगतान सर्वाधिक साहेबगंज प्रखंड में 12 लाभुकों का एवं राजमहल तथा बड़हरवा प्रखंड द्वारा क्रमशः 11 एवं 6 लाभुकों को दिया गया है एवं अन्य किसी भी प्रखंड द्वारा किसी भी लाभुक को द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं किया गया।

(iii) उप विकास आयुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-2344 दिनांक 29.06.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रखंड, साहेबगंज में लम्बित इंदिरा आवास के कुल लक्ष्य 917 के विरुद्ध 744 (81.13%) आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। पूर्णता का प्रतिशत पूरे जिले में सर्वाधिक है।

(iv) आरोप संख्या-4 के संबंध में कहना है कि इस आरोप में सत्यता नहीं है, क्योंकि इस आरोप में झारखण्ड सरकार के पत्रांक-112(अनु0)/ग्रा0वि0- PMAY(G) राँची, दिनांक 10.01.2017 में कृत स्पष्ट प्रावधान पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित लक्ष्य में कोटिवार कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसके आलोक में सभी पंचायतों से विधिवत प्रतिवेदित किये जाने के उपरांत एवं इस तथ्य से संतुष्ट होने पर

कि उपलब्ध लाभकों में से तत्कालीन मानकों के आधार R0/R1 (शून्य/एक कक्ष) शून्य कमरे वाले एवं एक कमरे के कच्चे मकान वाले सुयोग्य लाभुक नहीं हैं, मेरे द्वारा सप्रमाण पत्र इस कार्यालय के पत्रांक-280, दिनांक 03.03.2017 द्वारा एवं तदुपरान्त पत्रांक-463, दिनांक 02.04.2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। तदुपरान्त सूची भी उपलब्ध करायी गई है।

(v) आरोप संख्या-5 के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि साहेबगंज सदर प्रखंड मुख्यतः शहरी बनावट व बसावट वाला क्षेत्र है, जहां पर पत्थर केशरों व शहर में रेलवे आदि में कार्य करने वाले श्रमिकों को ₹0 300/- प्रतिदिन तक की अधिक मजदूरी प्राप्त होने से मनरेगा में इनका उत्साह कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त साहेबगंज प्रखंड का सम्पूर्ण क्षेत्र 11 पंचायतों दियारा क्षेत्र में पड़ता है। जहां क्षेत्र वर्ष में करीब 4-6 माह तक जलमग्न रहता है। यहां पर डोभा जैसी योजना का कार्यान्वयन अत्यंत कठिन है और विभाग में सड़कों, बांधों व तालाबों आदि योजनाओं पर माह मई, 2017 तक कठोर पाबंदियां लगाई थी। उपरोक्त कठिनाइयों के बावजूद प्रखंड साहेबगंज में अगस्त, 2017 तक के कुल 35102 मानव दिवस के लक्ष्य के विरुद्ध 32046 मानव दिवस का सृजन किया गया।

(vi) आरोप संख्या-6 के संदर्भ में कहना है कि दिनांक 25.04.2017 के रिपोर्ट से स्वतः स्पष्ट है कि प्रखंड, साहेबगंज में 56.45% डोभा योजनाओं पर काम प्रारंभ कराया गया, जबकि अन्य सभी प्रखंडों में प्रारंभ का प्रतिशत कम है।

(vii) आरोप संख्या-7 के संदर्भ में निवेदन करना है कि जियो टैगिंग का पंचायतों में ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा किया जाता है, जिसका अनुमोदन प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा द्वारा तथा उन्हें प्रदान किये गये यूजर आईडी0 एवं पासवर्ड के माध्यम से किया जाता है। दोनों को प्रत्येक बैठक में शीघ्रता से कार्य करने का निर्देश दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 19.04.2017 तक 148 योजनाओं का ID Correction कर लिया गया था तथा 29 योजनाओं का जियो टैगिंग कर लिया गया, जो कि 3.90% है, जबकि इसी संदर्भित तिथि अर्थात् 25.04.2017 को बरहेट, पतना एवं उधवा प्रखंड साहेबगंज की तुलना में पीछे थे, परन्तु भेदभाव पूर्ण तरीके से प्रखंड, साहेबगंज को आरोपित किया जाना उचित/न्याय पूर्ण प्रतीत नहीं होता है।

उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा श्री स्वर्णकार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध प्रस्तावित विभागीय कार्यवाही समाप्त करने की अनुशंसा की गई है।

उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य पर विभागीय पत्रांक-7126, दिनांक 19.08.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गई। उक्त के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3489, दिनांक 13.10.2020 द्वारा उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा प्रेषित मंतव्य पर निम्नांकित मंतव्य दिया गया-

(i) मनरेगा योजना से संबंधित लगाये गये आरोपों पर वर्तमान में प्रगति संतोषजनक नहीं है। लगभग एक वर्ष के उपरांत भी Jeo tagging, Delay Compansation डोभा निर्माण एवं रोजगार सृजन में अत्यल्प कार्य हुआ है। अतः मनरेगा से संबंधित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

(ii) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से संबंधित लगाये गये आरोपों पर वर्तमान में प्रगति कर ली गई है। अतः प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से संबंधित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है।

श्री स्वर्णकार के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, साहेबगंज के मंतव्य एवं उपायुक्त, साहेबगंज के मंतव्य पर ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरांत, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री अंगारनाथ स्वर्णकार, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर प्रखंड, साहेबगंज के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
	ANGAR NATH SWRNAKAR 110091296555	श्री अंगारनाथ स्वर्णकार, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर प्रखंड, साहेबगंज के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
